न्यायालय सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)कुम्भलगढ जिला राजसमन्द

(श्री उपेन्द्रकुमार शर्मा आर.ए.एस.)

पत्रावली संख्या 116/2022 वाद

निर्णय दिनांकः—25/07/2024

अनवान्

श्रीमती तारादेवी पत्नी किशननाथ योगेश्वर जाति नाथ निवासी दोवास तहसील कुम्भलगढ

.....वादी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार कुम्भलगढ

.....प्रतिवादी

वाद बाबत् घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती

उपस्थितः—

1—श्री केसरलाल आमेटा अधिवक्ता वादीया

2—पैरोकार सरकार

—: निर्णय :—

मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम केलवाडा मे खाता संख्या 238 रकबा 6040/289 रकबा 00.14.04 यानि 0.1404 हैक्टेयर भूमि राजस्व रेकार्ड मे वादीया के नाम पर दर्ज है । राजस्व रेकार्ड मे दर्ज अनुसार नक्शे मे भूमि कम पैमुद हुई है । जबकि प्रार्थीया का उक्त रकबे 0.1404 हैक्टेयर भूमि पर कब्जा निर्विधन रूप से चला आ रहा है । पटवारी हल्का से नपती कराने पर ज्ञात हुआ कि प्रार्थीया के खाते मे दर्ज रकबा 0.1404 हैक्टेयर अनुसार प्रार्थीया मौके पर काबिहज है परन्तु खाते अनुसार व मौके पर काबिज अनुसार नक्शे मे पैमुदगी कम है । अतः वादीया का वाद स्वीकार कर राजस्व रेकार्ड अनुसार नक्शे मे तरमीम शुद्वि की घोषणा कराने का निवेदन किया है ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी को सम्मन जारी किये गये । विपक्षी की ओर से जवाब पेश हुआ जो शामिल मिसल किया गया । तहसीलदार कुम्भलगढ से रिपोर्ट ली जा कर शामिल मिसल की गई । प्रकरण मे तनकीया कायम की जा कर शामिल मिसल की गई।

अधिवक्ता पक्षकारान् बहस सुनी गई । अधिवक्ता वादीया ने वाद पत्र मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस मे बताया कि ग्राम केलवाडा मे खाता संख्या 238 रकबा 6040/289 रकबा 00.14.04 यानि 0.1404 हैक्टेयर भूमि राजस्व रेकार्ड मे वादीया के नाम पर दर्ज है । राजस्व रेकार्ड मे दर्ज अनुसार नक्शे मे भूमि कम पैमुद हुई है । जबकि प्रार्थीया का उक्त रकबे 0.1404 हैक्टेयर भूमि पर कब्जा निर्विधन रूप से चला आ रहा है । पटवारी हल्का से नपती कराने पर ज्ञात हुआ कि प्रार्थीया के खाते मे दर्ज रकबा 0.1404 हैक्टेयर अनुसार प्रार्थीया मौके पर काबिहज है परन्तु खाते अनुसार व मौके पर काबिज अनुसार नक्शे मे

सहायक कलक्टर

पैमुदगी कम है । अतः वादीया का वाद स्वीकार किया जा कर राजस्व रेकार्ड अनुसार नक्शे मे तरमीम शुद्वि की घोषणा कराई जावे व उसी अनुसार डिकी पारित कराई जाकर राजस्व नक्शे मे तरमीम शुद्वि कराई जावे ।

पैरोकार सरकार ने अपने जवाब मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस मे बताया कि वाद पत्र कलम संख्या 1 आंशिक रूप से स्वीकार है मौके पर कब्जा है या नही वादीया स्वयं सिद्व करावे ।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

तनकी नंबर –1 आया वादीया राजस्व ग्राम केलवाडा की आराजी नंबर 6040/289 रकबा 00.14.04 के नक्शे को राजस्व रेकार्ड मे इन्द्राज दुरूस्त करवा पैमुद करवाने हेतु घोषणा करवाने की अधिकारिणी है ––बजिम्मे वादीया

पत्रावली के अवलोकन से सिद्व है कि वादीया द्वारा ग्राम केलवाडा की आराजी नंबर 6040/289 रकबा 00.14.04 बीघा भूमि को राजस्व रेकार्ड मे दर्ज अनुसार नक्शे पैमुद करवाने हेतु घोषणा का दावा पेश किया है व ताईद मे साक्ष्य वादीया मे वादीया स्वयं द्वारा अपना शपथ पत्र पेश किया है जिसमे भी यही तथ्य अंकित किये है एवं तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट मे अंकित किया है कि तरमीम संशोधन हेतु प्रस्तावित आराजी नंबर 6040/289 का पूर्व मे मूल आराजी नंबर 5271/289 रकबा 01.16.00 किस्म हकत 3 लगान 1.69 राजस्व रिकार्ड अनुसार आराजी नंबर 5271/289 का नक्शा अनुसार रकबा 01.12.00 बीघा है जो कि आराजी के मूल रकबे से 00.04.00 बीघा कम है । उक्त भूमि का विभाजन नामान्तरकरण संख्वया 2821 दिनांक 6.1.2012 से हुआ जिसमे कुशाल पिता जेताराम भील आ.नं. 5271/289 रकबा 00.16.00 किस्म हककत 3 व चुनाराम पिता नंदाराम भील आराजी नंबर 5271/289/1 रकबा 01.00.00 बीघा दर्ज हुई । खातेदारी भूमि के आगे की भूमि जो रिकार्ड अनुसार बिलानाम भूमि है के कुछ भाग पर खातेदार का कब्जा होना बताया है जिसको मिलाकर खातेदार का जमाबन्दी का रकबा एवं मौके पर कब्जा सुदा रकबा समान 00.13.00 बीघा अर्थात 0.1404 हैक्टेयर हो जायेगा ।तरमीम संशोधन होने से किसी भी आराजी (बिलानाम आराजी)का रकबा नक्शे मे जमाबन्दी के रकबे से कम नही हो रहा है ।तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार व वादीया के शपथ पत्र अनुसार तनकी नंबर –1 वादीया के पक्ष मे साबित होती है ।

तनकी नंबर 2:– अनुतोष– तनकी नंबर –1 वादीया के पक्ष मे साबित होने से तनकी नंबर 2 भी वादीया के पक्ष मे साबित होती है ।

तनकी नंबर 1 व 2 वादीया के पक्ष मे साबित होने से वादीया का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम केलवाडा मे खाता संख्या 238 रकबा 6040/289 रकबा 00.14.04 यानि 0.1404 हैक्टेयर भूमि राजस्व रेकार्ड मे वादीया के नाम पर दर्ज है उस अनुसार राजस्व नक्शे मे तरमीम शुद्वि की घोषणा की जाकर उसी अनुसार डिकी पर्चा जारी करने का आदेश दिया जाता है । तद्नुसार डिकी पर्चा जारी किया जाता है । पालना हेतु डिकी की प्रमाणित प्रति व प्रस्तावित नक्शा ट्रेस की स्वीकृत प्रति तहसीलदार कुम्भलगढ को भेजी जावे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो । निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(उपेन्द्रकुमार शर्मा)
सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
कुम्भलगढ
जिला–राजसमन्द

सहायक कलक्टर